एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 02, अंक: 01 (जनवरी-फरवरी, 2022)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

कृषक उपहार योजनाः किसानों के लिए फायदेमंद

(डॉ. गिरधारी लाल मीना[1], *डॉ. कैलाश चंद बैरवा[2], डॉ. विष्णु शंकर मीना[3] एवं डॉ. एम. एल. मीना[2])
[1]राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपर
[2]कृषि महाविद्यालय, बायतू, बाड़मेर
[3]कृषि महाविद्यालय, भरतपूर
* kailashiari@gmail.com

किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्रकार की कई लाभकारी योजनाएं चलाई जाती रही हैं। वहीं किसानों को प्रोत्साहित व लाभान्वित करने के लिए समय–समय पर पुरस्कार पाने का मौका भी दिया जाता है। इसी क्रम में राजस्थान में ई–नाम पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले किसानों के लिए एक योजना नववर्ष के अवसर पर शुरू की है। ई–राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले किसानों के लिए लाखों रुपए तक के पुरस्कार रखें गए हैं। इस योजना का लाभ किसान को कृषि मंडियों में ई–नाम के तहत फसल बेचने, उसकी नीलामी कराने और फिर इसी प्लेटफार्म से ई–भुगतान की राशि अपने खाते में जमा करने पर ही यह पुरस्कार राशि दी जाएगी।

क्या है कृषक उपहार योजना

राजस्थान सरकार ने कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर के तहत राज्य की समस्त मंडी समितियों के माध्यम से राज्य के किसानों के लिए कृषक उपहार योजना लागू की। इस योजना की अवधि 1 जनवरी 2022 से 30 दिसंबर 2022 तक मान्य होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को ई–नाम योजना के तहत अपनी कृषि उपज को ऑनलाइन बेचने के लिए प्रेरित करना है। योजना में किसानों को मंडी, खंड एवं राज्य स्तर पर पुरस्कार जीतने का अवसर मिलेगा। योजना में किसानों को 10 हजार से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की राशि पुरस्कार में मिल सकती है। कृषि मंडी और खंड स्तर पर प्रत्येक 6 माह में और प्रदेश स्तर पर 1 वर्ष में ऑनलाइन ड्रा निकालकर चयनित किसान को पुरस्कृत किया जाएगा। इस योजना के तहत क्षेत्र के किसान देश के किसी भी मंडी में अपनी उपज उचित दामों पर बेच सकते हैं। ई–नाम योजना के तहत उपज ऑनलाइन बेचने वाले किसानों को पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवश्यक है। एक बार पंजीकरण के बाद किसान हर वर्ष अपनी उपज ऑनलाइन बेच सकता है तथा किसानों को बार–बार पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

कैसे जारी होंगें ई–कूपन

कृषक उपहार योजना के विजेता बनने के लिए किसानों को कृषि उपज मंडी में कूपन दिए जाएंगे। योजना के तहत किसानों को मंडी समितियों में संचालित ई–नाम परियोजना के तहत मंडियों में अपनी कृषि उपज विक्रय करने एवं ई–भुगतान प्राप्त करने पर ई–उपहार कूपन मंडी समिति के माध्यम से जारी किए जाएंगे। ई–नाम पोर्टल पर कृषि उपज की गेट पास विक्रय पर्ची जिसका मूल्य 10 हजार रुपए या उससे अधिक होने पर तथा ई–भुगतान प्राप्त करने पर, किसानों को ई–कूपन मंडी समिति के माध्यम से निःशुल्क जारी किए जाएंगे। किसान जैसे ही अपनी फसल लेकर मंडी में प्रवेश करेगा,

उसका गेट पास ई–पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाएगा। उसी गेट पास के आधार पर फसल की नीलामी होगी। उस नीलामी की सारी जानकारी ई–नाम पोर्टल पर डाली जाएगी। उसी पोर्टल के माध्यम से कृषि उपज का ई–भुगतान लेने पर उन्हें ई–उपहार दिया जाएगा। इस ई–उपहार की लॉटरी मंडी, खंड व राज्य स्तर पर अलग–अलग निकाली जाएगी। यानी एक किसान को छह महीने में तीन बार लॉटरी में शामिल होने का अवसर मिलेगा। कूपन निकालने व देने की प्रक्रिया पुर्णरूप से ऑनलाइन होगी।

कृषक उपहार योजना में दिए जाने वाले पुरस्कारों का विवरण

इस योजना में किसानों को हर 6 महीने में 3 पुरस्कार जारी किए जाएंगे।

1. **मंडी स्तर पर:** मंडी स्तर पर हर छह महीने में दो तरह के तीन–तीन पुरस्कार दिए जाएंगे। पहला गेट पास की विक्रय पर्ची पर जिसमें प्रथम पुरस्कार 25000 रुपए, द्वितीय 15000 रुपए व तृतीय 15000 रुपए है। इसी तरह ई–भुगतान की विक्रय पर्ची पर प्रथम पुरस्कार 25000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 15000 रुपए व तृतीय पुरस्कार 15000 रुपए रखा गया है।
2. **प्रखंड स्तर पर (ब्लॉक स्तर पर):** प्रखंड यानी जिला स्तर पर प्रत्येक छह महीने में प्रथम पुरस्कार 50000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 30000 रुपए, व तृतीय पुरस्कार 20000 रुपए रखे गए हैं।
3. **राज्य स्तर पर:** राज्य स्तर पर एक साल में एक बार लॉटरी निकाली जाएगी। इसमें प्रथम पुरस्कार 250000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 150000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 100000 रुपए रखा गया है।

ई–नाम पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज

ई–नाम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसानों को कुछ दस्तावेजों की आवश्कता होगी जो निम्न प्रकार हैं।

- किसान का आधार कार्ड
- किसान का पहचान पत्र
- किसान के बैंक खाते की पासबुक की प्रतिलिपि
- किसान का पंजीकृत मोबाइल नंबर
- किसान की पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ
- किसान की ईमेल आईडी, अगर है तो

कैसे करें ई–नाम पोर्टल पर पंजीकरण

जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते है वो ई–नाम ऑनलाइन पोर्टल पर अपना पंजीकरण नीचे दिए गए कुछ चरणों का अनुकरण करके कर सकते है।

1. पंजीकरण तीन तरीकों से किया जा सकता है। ई–नाम पोर्टल की वेबसाइट http://www.enam.gov.in या मोबाइल ऐप के माध्यम से, या मंडी पंजीकरण (गेट प्रवेश) के माध्यम से।
2. अगर किसान भाई खुद पंजीकरण करना चाहें तो निम्नलिखित चरणों को अपनाकर कर सकते है।
3. सबसे पहले किसान भाईयों को सरकार की ओर से जारी की ई वेबसाइट www.enam.gov.in या पंजीकरण पृष्ठ में http://enam.gov.in/NAM/home/other_register.html पर जाना होगा।
4. अब आप इस पेज पर दिए गए पंजीकरण फॉर्म पर क्लिक करें।
5. पंजीकरण फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आप पंजीकरण प्रकार का चयन ''किसान'' के रूप में करें और वांछित ''एपीएमसी मतलब मंडी'' का चयन करें।

6. अपना सही ईमेल आईडी प्रदान करें क्योंकि आपको उसी में लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
7. एक बार सफलतापूर्वक पंजीकृत होने के बाद आपको दिए गए ई–मेल में एक अस्थायी लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
8. सिस्टम के माध्यम से www.enam.gov.in पर दिए गए आइकन पर क्लिक करके डैशबोर्ड में प्रवेश करें।
9. डैशबोर्ड पर किसानों को एक चमकता संदेश मिलेगा जैसेः ''एपीएमसी के साथ पंजीकरण करने के लिए यहां क्लिक करें।
10. विवरण भरने करने के लिए आप पंजीकरण पृष्ठ पर फ्लैश करने वाले लिंक पर क्लिक करें।
11. किसान भाइयों को केवाईसी के लिए आवश्यक विवरण और दस्तावेज जैसे कि आपका नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, घर का पता, बैंक खाता के विवरण की कॉपी, रद्द किए हुए चेक, कोई सरकारी पहचान प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी आदि चाहिए होगें।
12. केवाईसी पूरा होने के बाद इसे आपके चयनित एपीएमसी को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
13. अपने डैशबोर्ड में सफल लॉगिन के बाद आप सभी एपीएमसी का पता विवरण देख पाएंगे।
14. एपीएमसी द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, आपको पंजीकृत ई–मेल आईडी पर ई–नाम प्लेटफॉर्म पर विपणन कार्य करने के लिए ई–नाम किसान स्थायी लॉगिन आईडी (उदारहणः RJ866F00001) और पासवर्ड प्राप्त होगा। इन आईडी और पासवर्ड की सहायता से आप जब चाहे तब ई–नाम पोर्टल के द्वारा विभिन्न विपणन सूचनाओ को प्राप्त कर सकते है।
15. किसानों को भविष्य के संदर्भ के लिए जमा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने पर, किसान मंडियों में अपने कृषि उत्पादों को बेचने के लिए लॉगिन कर सकते हैं।
16. अगर किसान खुद पंजीकरण करने में असमर्थ होता है तो, आपको चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं हैं। क्योंकि जब आप कुछ आवश्क दस्तावेजों के साथ मंडी में फसल बेचने जाओगे तो पंजीकरण मंडी के कर्मचारी अपने आप कर देगें।

किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कृषक उपहार योजना शुरूआत की है। किसान भाईयों से अनुरोध है कि आप कृषक उपहार योजना के प्रति अधिक सजग एवं जागरुक रहें, अपनी उपज को ई–राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) के माध्यम से ही बेचें तथा ई–भुगतान प्राप्त करें ताकि यह योजना आपके लिए अधिक से अधिक फायदेमंद साबित हो सकें।

E-Magazine for Agricultural Articles
(www.agriarticles.com)